कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 2057/305/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 5 /10/2018

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, (सागर,रीवा,नेपानगर को छोड़कर)
म.प्र.।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 एंव 2018–19 में स्वीकृत अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने विषयक।

संदर्भः– 1.इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 1748/41/अनु–ब/18 दिनांक 05.09.18
2.इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1603/305/अनु–ब/18 दिनांक 07.08.18, 24.08.18 एंव 18.09.18

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश क्रमांक–1 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को तृतीय त्रैमास हेतु वेतन–भत्तों की राशि आवंटित की जा चुकी है, जिसमें अंकित नोट में यह भी निर्देशित किया गया था कि **आवंटित राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में महाविद्यालयवार एकजाई कर विशेष वाहक के हस्ते 03 दिवस में उपलब्ध करावें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित डी.डी. ओ. को राशि इस कार्यालय द्वारा अपलोड की जावेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त होने पर वेतन–भत्ते में विलंब के लिए संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महावि. एंव प्राचार्य, अशासकीय महावि. दोनो ही पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।** इसी प्रकार संदर्भित पत्र क्रमांक–2 द्वारा प्रेषित पत्रों/स्मरण–पत्रों द्वारा चाहे उपयोगिता प्रमाण–पत्र अधिकांश महाविद्यालयों से अप्राप्त हैं।

चूंकि प्रकरण वेतन–भत्तों से संबंधित है। अतः समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों के सर्वर पर राशि इस शर्त के साथ अपलोड की जाती है कि वे उनके जिले में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उक्त महाविद्यालय को वेतन–भत्तों की राशि स्वीकृत करेंगे तथा अपने जिले के समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना राशि स्वीकृत की जाती है तो संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय को पूर्णतः उत्तरदायी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने की अंतिम बार **समय–सीमा 11.10.18** निर्धारित की जाती है, तत्पश्चात् सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश